

आवेदन-पत्र

प्रति,

प्रबंधक (न.प्र.),
नगर प्रशासन विभाग,
हॉस्टल नं 4, सम्पदा भवन, पिपलानी,
भोपाल – 462022, म. प्र.

आवेदक स्वयं का
पासपोर्ट आकार का
नवीनतम फोटो
चिपकाएं

विषय: बी.एच.ई.एल. भोपाल लोक परिसर में निविदा के माध्यम से 11 (ग्यारह) माह की अवधि के दौरान ठेले पर व्यवसाय करने की अस्थायी अनुमति हेतु आवेदन।

1. आवेदक का आधार नं : _____
2. आवेदक का नाम : _____
3. आवेदक के पिता/पति का नाम : _____
4. आवेदक के निवास का पता : _____

5. आवेदक का मोबाइल नं 1. _____ 2. _____
6. धरोहर राशि जमा (EMD) विवरण: रसीद नं _____ रु. _____/-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :

1. बी.एच.ई.एल. द्वारा अस्थाई रूप से आवंटित किए जाने वाले भूखंड के आकार के सीमित स्थल पर ही व्यवसाय करूंगा/करूंगी, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करूंगा/करूंगी।
2. आवंटित जगह पर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।
3. आवंटित जगह पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखूंगा/रखूंगी।
4. बीएचईएल की दीवार एवं अन्य सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचाऊंगा/पहुँचाऊंगी।
5. आवंटित जगह व उसके आसपास की साफ-सफाई रखूंगा/रखूंगी।
6. मुझे वर्तमान में ठेले पर व्यवसाय करने हेतु बी.एच.ई.एल द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
7. कोविड-19 महामारी के रोकथाम संबंधी केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी। किसी भी प्रकार का हानी के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूंगी। किसी भी कारण व्यवसाय बंद रहता है तो क्षतिपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

आवंटित स्थल पर व्यवसाय हेतु बी.एच.ई.एल., भोपाल द्वारा अस्थाई अनुमति संबंधी निविदा के नियम एवं शर्तें मुझे मान्य हैं।

दिनांक : _____
स्थान: _____

आवेदक के हस्ताक्षर/
हाथ के अंगूठे का निशान

संलग्न (छायाप्रति/फोटोकॉपी) :

1. आवेदक का आधार कार्ड की प्रति
2. आवेदक के पते का प्रमाण पत्र (address proof)
3. आवेदक के पासपोर्ट आकार के नवीनतम 02 फोटो

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(नगर प्रशासन विभाग)

बी.एच.ई.एल. भोपाल लोक परिसर में निर्मित हाकर्स कोर्नर एवं विभिन्न स्थलों पर निविदा के माध्यम से (11) ग्यारह माह की अवधि के लिए ठेले पर व्यवसाय करने की अनुमति हेतु

निविदा सूचना क्र. न.प्र./दु.प्र./ठेला/2020/1012

दिनांक: 16/01/2021

- बीएचईएल भोपाल लोक परिसर में ठेले पर किया जाने वाले व्यवसाय हेतु 11 (ग्यारह) माह की अस्थायी अनुमति दिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा दस्तावेज प्राप्त करने का दिनांक एवं समय (निविदा www.bhel.com से भी डाउनलोड की जा सकती है)	दिनांक 18/01/2021 से 10/02/2021 समस्त कार्य दिवस पर प्रातः 9.00 से अप. 12.00 बजे तक
निविदा दस्तावेज प्राप्त करने, शंका-समाधान, आदि हेतु संपर्क सूत्र	नगर प्रशासन कार्यालय, कक्ष क्र. 20, दुकान प्रकोष्ठ, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, पिपलानी, बीएचईएल, भोपाल
निविदा दस्तावेज का मूल्य (वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की दशा में भी शुल्क देय होगा)	रु. 200/- एवं जीएसटी 18% कुल रु 236/- (रु. दो सौ छत्तीस मात्र)।
निविदा दस्तावेज जमा करने का अंतिम दिनांक, समय व स्थल	दिनांक 11/02/2021 सुबह 10:00 बजे तक नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, पिपलानी, बीएचईएल, भोपाल के भूतल पर रखी सफेद रंग की निविदा पेटी
निविदा खुलने का दिनांक, समय व स्थल	दिनांक 11/02/2021 अप. 3.30 बजे नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, पिपलानी, बीएचईएल, भोपाल के भूतल स्थित सभाकक्ष
H1 आधार पर आवंटित स्थलों के उपरान्त रिक्त स्थलों का आवंटन	दिनांक एवं समय की सूचना नगर प्रशासन विभाग के सूचना पटल पर दर्शायी जायेगी।
धरोहर राशि जमा (EMD)	रु. 5000/- मात्र

- ठेले पर व्यवसाय करने हेतु निर्धारित स्थलों की सूची परिशिष्ट क्र. 01 में संलग्न है।
- ठेले पर किए जा सकने वाले एवं प्रतिबंधित व्यवसायों की सूची परिशिष्ट क्र. 02 में संलग्न है।
- डेबिट कार्ड/डीडी के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर निविदा दस्तावेज नगर प्रशासन विभाग – दुकान प्रकोष्ठ, कक्ष क्र. 20, हॉस्टल नं 4 से प्राप्त किया जा सकता है अथवा www.bhel.com से डाउनलोड किया जा सकता है, निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की दशा में निविदा दस्तावेज शुल्क वाबत निर्धारित राशि का डी डी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- पूर्ण रूप से भरी गई तथा लिफाफे में बंद निविदा, संपदा भवन के भूतल स्थित परिसर में रखी निविदा पेटी में जमा की जा सकती है। लिफाफे पर क्षेत्र का नाम एवं स्थल क्रमांक, धरोहर राशि की जमा पर्ची का क्रमांक, आवेदक का नाम, व्यवसाय का प्रकार स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना अनिवार्य है।
- ठेले हेतु क्षेत्रफल, निविदा हेतु 11 माह का आरक्षित शुल्क आदि का विवरण परिशिष्ट क्र. 01 में दिया गया है।

7. समस्त स्थल पर हाथ ठेले पर व्यवसाय किया जा सकता है परंतु जिन स्थलों का आकार 15' x 15' है वहाँ पर ही मोटराइज्ड(स्वचलित) ठेले पर व्यवसाय किया जा सकता है।
8. धरोहर राशि जमा कर जमा पर्वी निविदा के साथ संलग्न करें।
9. निविदा आवेदन पत्र के साथ स्वयं का आधार कार्ड एवं पते के प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
10. परिशिष्ट क्र. 01 के अनुसार जिन स्थलों के लिए अनुभव की आवश्यकता है उन स्थलों के लिए जिस निविदाकार को बीएचईएल के किसी भी क्षेत्र में ठेले पर व्यवसाय करने हेतु निविदा के माध्यम से दिनांक 19.11.2018 या बाद के 11 माह हेतु अनुमति प्रदान की गई हो उन्हें अनुभवी निविदाकार मान कर वरीयता प्रदान की जायेगी। इस हेतु बीएचईएल, भोपाल द्वारा प्रदत्त उक्त अस्थाई अनुमति की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
11. परिशिष्ट क्र. 01 में उल्लिखित जिन स्थलों के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है उन स्थलों के लिये उभय अनुभवी तथा अनुभवहीन सभी निविदाकारों की वरीयता एक समान होगी।
12. एक निविदाकार केवल किसी एक स्थल हेतु ही निविदा जमा कर सकता है। एक से अधिक स्थल हेतु निविदा जमा करने पर उसकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक स्थल पर ही ठेले पर व्यवसाय करने की अनुमति दी जायेगी।
13. स्थल का आवंटन वरीयता के आधार पर तथा H1 अर्थात् उस स्थल हेतु अधिकतम राशि उद्धृत करने वाले निविदाकार को किया जाएगा।
14. एक ही स्थल हेतु समान वरीयता व H1 राशि उद्धृत होने पर लॉटरी द्वारा स्थल चयन का निर्णय लिया जाएगा।
15. स्थल आवंटन की प्रक्रिया:
 - 15.1 सफल निविदाकारों (H1) की सूची नगर प्रशासन विभाग के सूचना पटल पर चरपाकरण किया जायेगा तथा सफल निविदाकारों को उनके द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर सूचना देने का प्रयास किया जायेगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि निविदा के परिणाम संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु नगर प्रशासन विभाग के दुकान प्रकोष्ठ के सम्पर्क में रहें। H1 निविदाकार द्वारा उद्धृत (कोटेड) राशि (जीएसटी अतिरिक्त) 11 माह की अवधि हेतु देय होगा।
 - 15.2 प्रथम चरण में निविदाकार की उद्धृत दर पर उसे स्थल आवंटित नहीं होने की दशा में निर्धारित दिनांक व समय पर न.प्र. विभाग के सभा कक्ष में उपस्थित इच्छुक योग्य निविदाकारों को शेष उपलब्ध स्थलों में से किसी भी स्थल का आवंटन उनके द्वारा उद्धृत दर पर अथवा उस स्थल हेतु आरक्षित राशि (जो भी अधिक हो) पर किया जा सकेगा। जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। स्थल चुनने हेतु अवसर उपस्थित निविदाकारों द्वारा उद्धृत या राशि के घटते क्रम में प्रदान किया जायेगा।
 - 15.3 निविदा खुलने के बाद सूचना मिलने पर (नगर प्रशासन विभाग के सूचना पटल पर चरपाकृत) 10 दिन के भीतर प्रस्तावित आवंटियों द्वारा सुविधा शुल्क एवं (जीएसटी 18%) जमा कर रु 500/- के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनके द्वारा जमा धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
 - 15.4 अस्थाई आवंटन की अवधि 11 माह की होगी।
16. अनुमति प्राप्त निविदाकारों की धरोहर राशि को प्रतिभूत राशि के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा एवं असफल निविदाकारों की धरोहर राशि (जो जप्त नहीं किये गये हैं) बिना व्याज वापस कर दी जायेगी।
17. अनुमति प्राप्त निविदाकारों की प्रतिभूति राशि अस्थाई अनुमति की समयावधि समाप्त हो जाने के बाद स्थल खाली कर आवेदन करने के पश्चात निविदा/अस्थाई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन न पाये जाने पर बिना व्याज वापस कर दी जाएगी। अन्यथा प्रतिभूति जमा नियमानुसार समायोजित/जप्त किया जा सकता है।
18. अनुमति प्राप्त होने पर व्यवसाय का संचालन निविदाकार द्वारा ही किया जाएगा। स्थल को किराए से देना या व्यवसाय संचालन हेतु किसी और व्यक्ति को देने पर अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।
19. बीएचईएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर अनुमति पत्र दिखाना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थल से ठेला हटाने का अधिकार निरीक्षक/प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
20. व्यवसाय की अनुमति प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक ही रहेगी। रात्रि 09 बजे से सुबह 09 के दौरान ठेला बाज़ार क्षेत्र से हटाना होगा। आवंटित आकार से अधिक स्थल घेरने, अन्य स्थल पर ठेले लगाने, अनुमत से अधिक ठेले लगाने, निविदा के नियमों का उल्लंघन करने आदि अनियमितता पाये जाने पर प्रति अनियमितता रु. 500/- की जुर्माना लगाया जा सकता है। तीन बार से अधिक अनियमितता पाये जाने पर अनुमति निरस्त कर प्रतिभूति राशि व अन्य शुल्क जप्त कर बेदखल कर दिया जाएगा।
21. ग्राहकों से अवांछनीय व्यवहार करना, नशे की हालत में व्यवसाय करना, असामाजिक गतिविधि में लिप्त होना, बीएचईएल के खिलाफ अनर्गल अफवाहें फैलाना, प्रतिबंधित व्यवसाय करना आदि परिस्थिति में बिना किसी सूचना

के अनुमति निरस्त कर प्रतिभूति जमा व अन्य शुल्क जम्मा कर बेदखल कर दिया जाएगा एवं भविष्य में बीएचईएल लोक परिसर में व्यवसाय करने हेतु अनुमति से वंचित की जा सकती है।

22. निविदा में उल्लिखित क्षेत्र/स्थल की संख्या अथवा स्थल में प्रबंधन के निर्णय अनुसार, 5 दिन की पूर्व सूचना पर, परिवर्तन किया जा सकता है। ठेला भेल प्रबंधन द्वारा अनुमत स्थल पर ही लगाना होगा। बीएचईएल को यह अधिकार होगा कि स्थल में परिवर्तन किया जा सके। अन्यत्र स्थल उपलब्ध न होने की दशा में अनुमति निरस्त कर समानुपाति सुविधा शुल्क का भूगतान किया जायेगा किंतु उपर्युक्त हेतु बीएचईएल बाध्य नहीं है।
23. अनुमतिप्राप्तकर्ता द्वारा अनुमति अवधि के दौरान व्यवसाय संचालित नहीं किए जाने / व्यवसाय बंद करने की लिखित सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देनी होगी, अनुमत अवधि के दौरान किसी भी कारण से व्यापार बंद करने के कारण रिक्त स्थल हेतु न तो कोई शुल्क लौटाया जाएगा न ही कोई हर्जाना दिया जाएगा।
24. उपर्युक्त स्थल हेतु अस्थायी अनुमति केवल 'जहां हैं जैसी हैं' आधार पर रहेगी।
25. कोविड-19 महामारी के रोकथाम संबंधी केंद्र / राज्य शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
26. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय अपर महाप्रबंधक (नगरीय), बीएचईएल भोपाल का होगा।

प्रबंधक(न.प्र.)

निविदा (Bid)

बी.एच.ई.एल. भोपाल लोक परिसर के विभिन्न स्थलों पर निविदा के माध्यम से (11) ग्यारह माह की अवधि के लिए ठेले पर व्यवसाय करने की अनुमति संबंधी।

1. आवेदक का आधार नं : _____
 2. आवेदक का नाम : _____

व्यवसाय हेतु चयनित क्षेत्र व स्थल क्रमांक (परिशिष्ट क्र. 01 अनुसार)	व्यवसाय का नाम (परिशिष्ट क्र. 02 अनुसार)

उपर्युक्त स्थल हेतु निविदाकार द्वारा 11 माह हेतु उद्धृत (quote) की गई दर (जीएसटी 18% अतिरिक्त) नोट : उक्त स्थल हेतु परिशिष्ट क्र. 01 में दी गई आरक्षित दर से कम कोट की गई निविदा प्रथम चरण हेतु अस्वीकृत मानी जाएगी	
रु. _____ (अंकों में)	रु. _____ _____ (शब्दों में)

यह सुनिश्चित किया गया एवं स्वीकार्य है कि:

1. इस निविदा को सीलबंद लिफाफे में जमा किया जायेगा।
2. लिफाफे के ऊपर निविदाकार का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है।
3. लिफाफे के ऊपर **परिशिष्ट क्र. 01 अनुसार व्यवसाय करने हेतु क्षेत्र का नाम, स्थल क्रमांक** स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है।
4. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित दर अंकों में एवं शब्दों में लिखी गई है, अंकों में एवं शब्दों में विभिन्नता की दशा में शब्दों में लिखी गई दर मान्य की जाएगी।
5. काँट-छांट होने पर निविदा अमान्य की जाएगी।
6. विवाद की किसी भी दशा में अपर महाप्रबंधक (नगरीय), बी.एच.ई.एल, भोपाल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
7. मेरे द्वारा उपर्युक्त स्थल के अलावा किसी अन्य स्थल हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

दिनांक : _____

स्थान: _____

आवेदक के हस्ताक्षर/
हाथ के अंगूठे का निशान

[illegible]

[illegible]

V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 01	10 फिट X10 फिट	27951	आवश्यक नहीं
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 02	10 फिट X10 फिट	23692	आवश्यक नहीं
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 03	10 फिट X10 फिट	24792	आवश्यक
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 04	10 फिट X10 फिट	23692	आवश्यक नहीं
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 05	10 फिट X10 फिट	23705	आवश्यक
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 06	10 फिट X10 फिट	26061	आवश्यक
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 07	10 फिट X10 फिट	27322	आवश्यक नहीं
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 08	10 फिट X10 फिट	23692	आवश्यक नहीं
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 09	10 फिट X10 फिट	24200	आवश्यक
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 10	10 फिट X10 फिट	24750	आवश्यक
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 11	10 फिट X10 फिट	25029	आवश्यक नहीं
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 12	10 फिट X10 फिट	23692	आवश्यक नहीं
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 13	10 फिट X10 फिट	23692	आवश्यक नहीं
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 14	10 फिट X10 फिट	23692	आवश्यक नहीं
V विजय मार्केट बस स्टॉप के पास: 15	10 फिट X10 फिट	72612	आवश्यक नहीं

नोट: जी.एस.टी. प्रचलित दर पर आवंटी द्वारा अतिरिक्त देय होगा, वर्तमान दर 18% ।

परिशिष्ट02-

हाथ ठेले/मोटोराइज्ड (स्वचालित) ठेले पर किए जा सकने वाले व्यवसाय :

1. पूजन सामग्री
2. फूल-माला/बुके
3. फल-सब्जी
4. फ्रूट जूस
5. साउथ इंडियन स्नैक्स/नाश्ता
6. चाइनीज़ स्नैक्स /नाश्ता
7. फुलकी-चाट
8. चाय-नाश्ता
9. अंडा, ऑमलेट, एगरोल
10. आईसक्रीम /सॉफ्ट ड्रिंक्स
11. पान-बीड़ी, गुटका
12. पौधे, बीज, गमले
13. मिट्टी के वर्तन
14. जूते-चप्पल रिपेरींग
15. साइकल रिपेरींग
16. प्रतिबंधित व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय प्रबंधन की पूर्वानुमति से (आवेदन करने से पूर्व संपर्क करें)

प्रतिबंधित व्यवसायों की सूची :

1. शराब की दुकान
2. जुआ से संबंधित सामग्री
3. बार एवं पब्स से संबंधित सामग्री
4. नाईट क्लब्स से संबंधित सामग्री
5. क्रिमिनल लॉ/लागू विधानों के अंतर्गत अवैध गतिविधियों/व्यवसायों सहित समान प्रकार के अन्य व्यवसाय ।